न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

प्र. क्र. II / निगरानी / मुरैना / भूराजस्व / 2017 / 4287

1 कृष्णप्रतापसिंह
2 धुव्रप्रतापसिंह पुत्रगण [redacted]श्री रामप्रतापसिंह निवासी सूबे की बजरिया पुराना हाईकोर्ट रोड ग्वालियर .....प्रार्थीगण

बनाम

1 डॉ प्रतापसिंह तोमर पुत्र श्री उम्मेदसिंह तोमर निवासी सूबे की बजरिया पुराना हाईकोर्ट रोड ग्वालियर म0प्र0
2 शिवप्रतापसिंह पुत्र स्व0श्री उम्मेदसिंह निवासी कृषक ग्राम जनकग्राम तहसील पोरसा जिला मुरैना ......प्रतिप्रार्थीगण

द्वारा आज दि. 6/11/2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6/11/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय नायब तहसीलदार पोरसा जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 25 / 2008–09 अ–6 में पारित आदेश दिनांकी 12.09.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थीगणों की दादी श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व0श्री उम्मेदसिंह के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि ग्राम जनकपुर (रजौदा) परगना पोरसा जिला मुरैना में थी और उक्त संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी । उक्त संपत्ति की वसीयत प्रार्थीगणों के हक मे उनकी दादी द्वारा निष्पादित की गयी थी और दादी की मृत्यु हो चुकी है और उक्त संपत्ति पर प्रतिप्रार्थी क्रमांक–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कूटरचित फर्जी वसीयतनामा दिनांक 01.11.2007 के आधार पर ग्राम जनकपुर (रजौदा) परगना पोरसा की भूमि पर नामांतरण कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थीगणों को जो सूचना पत्र जारी किया गया उक्त सूचना पत्र शिड्यूल–1 में दिये गये तामीली नियमों के अनुसार जारी नही किया गया और जो तामील चस्पा द्वारा निष्पादित होना बतलाकर प्रार्थीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है उक्त चस्पा की कार्यवाही शिड्यूल–1 में दिये गये तामील नियम 11 लगायत 14 के अनुरूप न होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगणों पर

क्रमशः.............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4287

कृष्णप्रतापसिंह विरूद्ध प्रतापसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/अ-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 12-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 11·3·19 (आर.के.जैन) सदस्य	